छत्तीसगढ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक एफ 4-25/खाद्य/2007/29 रायपुर, दिनांक 04 अक्टूबर, 2007

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ

विषयः- खरीफ विपणन वर्ष 2007-08 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग नीति विषयक ।

आगामी खरीफ वर्ष 2007-08 में समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन का कार्य 01 नवंबर, 2007 से प्रारंभ होगा । खरीफ वर्ष 2007-08 में समर्थन मूल्य पर 40.00 लाख मेट्रिक टन धान का उपार्जन अनुमानित है । कुल उपार्जित धान में से 12 लाख मेट्रिक टन धान सीधे ही भारतीय खाद्य निगम को अंतरित कर दिया जाएगा । शेष 28 लाख मेट्रिक टन धान में से 10 लाख मेट्रिक टन धान का चावल बनाकर भारतीय खाद्य निगम को अंतरित किया जाएगा । बचे हुए 18 लाख मेट्रिक टन धान की मिलिंग से प्राप्त 12 लाा मेट्रिक टन चावल छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन को विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य योजनाओं में उपयोग के लिए दिया जाएगा। अनुमानित उपार्जन को दृष्टिगत रखते हुए उपार्जित धान के त्वरित निराकरण हेतु कस्टम मिलिंग की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है -

1. **सी.एम.आर. डिलेवरी समयावधि -**

खरीफ वर्ष 2007-08 के दौरान कस्टम मिलिंग के उपरांत निर्मित चावल के छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन अथवा भारतीय खाद्य निगम को डिलेवरी की समयावधि 01.11.2007 से 31.09.2008 तक होगी ।

2. **सी.एम.आर. उपार्जन एजेंसी -**

2.1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य योजनाओं हेतु राज्य के लिए आवश्यक चावल की प्राप्ति विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा की जाएगी ।

2.2. राज्य की आवश्यकता के आधिक चावल का परिदान कस्टम मिलिंग के उपरांत मिलरों द्वारा भारतीय खाद्य निगम को किया जाएगा ।

2.3. विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के अंतर्गत चावल उपार्जन हेतु राज्य शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा आवश्यक कार्यशील पूंजी की व्यवस्था की जावेगी ।

3. **गुणवत्ता -**

3.1. समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के उपरांत छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2007-08 हेतु निर्धारित विर्निदिष्टियों के अनुरूप चावल की प्राप्ति सी.एम.आर. के रूप में की जावेगी ।

3.2. भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2007-08 हेतु निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप चावल के उपार्जन हेतु छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के

अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जावे ।

3.3. शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि चावल की गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जायेगा। चूंकि यही चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आपके जिले में ही हितग्राहियों को वितरित किया जाता है, इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि चावल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए ।

4. **कस्टम मिलिंग दर -**

खरीफ वर्ष 2007-08 में उपार्जित एवं राज्य शासन द्वारा संधारित धान की अरवा मिलिंग दर 35.00 रूपए प्रति क्विंटल एवं उसना मिलिंग दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप होगी ।

5. कस्टम मिलिंग प्रक्रिया - खरीफ वर्ष 2006-07 के दौरान कस्टम मिलिंग प्रक्रिया में अंतर्निहित त्रुटियों के कारण धान मिलिंग में कई प्रकार की अनियिमितताएं सामने आयी है, जिस पर नियंत्रण हेतु कस्टम मिलिंग की समूची व्यवस्था का कम्प्यूटराईजेशन किया जा रहा है । खरीफ वर्ष 2007-08 में कस्टम मिलिंग हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार होगी –

5.1. सर्वप्रथम आपके जिले के समस्त राईस मिलों के पंजीकरण का कार्य जिला खाद्य कार्यालय द्वारा किया जावेगा । इस हेतु विभाग द्वारा वेब एप्लीकेशन तैयार की जा चुकी है, जिसका वेब आई डी cg.nic.in/dcppds है । इस वेब एप्लीकेशन के माध्यम से मिलर द्वारा समस्त आवश्यक जानकारी इंटरनेट पर दर्ज करके पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट निकाला जाएगा ।

इस प्रकार प्रिंट आउट किया गया आवेदन मिल संचालक हस्ताक्षर के पश्चात् जिला खाद्य कार्यालय में प्रस्तुत करेगा । राईस मिलर द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण एवं भौतिक सत्यापन कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा कराए जाने के उपरांत इसे सही पाए जाने की स्थिति में ही मिल का पंजीकरण किया जावेगा तथा प्रत्येक मिल को कम्प्यूटर द्वारा एक पंजीयन क्रमांक आबंटित किया जाएगा । पंजीकृत होने के उपरांत ही मिलर कस्टम मिलिंग के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पात्र होगा एवं कस्टम मिलिंग हेतु मात्र पंजीकृत राईस मिल को ही धान प्रदाय किया जावेगा । कृपया अपने जिले के समस्त राइस मिलरों की बैठक लेकर उन्हें इस संबंध में पूरी जानकारी प्रदाय कर दें, एवं यह सुनिश्चित कर लें कि अधिकांश मिलों का पंजीयन धान उपार्जन प्रारंभ होने के पहले हो जाए । यद्यपि मिलों के पंजीयन का कार्य धान उपार्जन प्रारंभ होने के बाद बंद नहीं किया जाएगा, तथापि यदि अधिकांश मिलों का पंजीयन पहले नहीं हो सका तो कस्टम मिलिंग समय से कराने में कठिनाई आएगी ।

5.2. पंजीकृत मिल द्वारा आवेदन करने पर कलेक्टर द्वारा कस्टम मिलिंग की अनुमति जारी की जाएगी। कलेक्टर सुनिश्चित करेंगे कि मिलिंग हेतु अनुमति जारी किए जाने में अनावश्यक विलंब न हो । मिल को धान की कस्टम मिलिंग की अनुमति मिल की क्षमता के आधार पर एक बार में कम से कम एक माह की मिलिंग क्षमता के बराबर (1 मेट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली मिल हेतु 400 मेट्रिक टन प्रति माह) दी जावे । मिलों को 100 मेट्रिक टन (अर्थात 1 स्टेक) के गुणक में मिलिंग अनुमति दी जावे । मिलों को एक बार

में उनकी 3 माह की मिलिंग क्षमता से अधिक की अनुमति नहीं दी जाएगी । अगला अनुबंध करने के पूर्व पिछले अनुबंध की मिलिंग पूरी करना अनिवार्य होगा। अगला अनुबंध करते समय पिछले अनुबंध के लिए की गई मिलिंग के लिए उपयोग की गई बिजली के बिल की छायाप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी । कलेक्टर एक मिलिंग सीजन में मिल की 5 माह की मिलिंग क्षमता से अधिक का अनुबंध करने की अनुमति नहीं देगा । यदि इससे अधिक के अनुबंध की अनुमति देना हो, तो कलेक्टर कारण दर्शाते हुए प्रबंध संचालक मार्कफेड के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित होगा कि धान की मिलिंग किस प्रकार कौन से मिल में की जाएगी, तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल रीसाइकिल होने से रोकने की क्या व्यवस्था होगी। मिलिंग की अनुमति भी एक साफ्टवेयर के माध्यम से कम्प्यूटर पर ही जारी की जाएगी। इस अनुमति की इलेक्ट्रानिक प्रति तत्काल सर्वसंबंधित को इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी।

5.3. कस्टम मिलिंग की अनुमति कलेक्टर द्वारा जारी की जाने के पश्चात उसी दिन मिलिंग हेतु जिला विपणन अधिकारी द्वारा अनुमति की पूरी मात्रा का अनुबंध एक ही बार में निष्पादित किया जावे । मिलर्स को प्रोत्साहित किया जाए कि वे आवेदन के साथ ही आवश्यक स्टाम्प पेपर अनुबंध हेतु उपलब्ध करावें ताकि अनुबंध करने में विलंब न हो ।। छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन तथा भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा कराने के लिए अलग-अलग अनुबंध किए जाएं ।

5.4. धान के उठाव हेतु पूरा स्टेक हस्तांतरित किया जावे । किसी भी स्थिति में

मिलर्स को स्टेक तोडकर अथवा बोरों की छटाई कर धान जारी नहीं किया जावे ।

5.5. जिलों में कस्टम मिलिंग हेतु कलेक्टर द्वारा कॉमन, ग्रेड-ए एवं स्वर्णा धान का अनुपात इस प्रकार निर्धारित किया जावे कि खरीफ वर्ष 2007-08 में उपार्जित धान का निराकरण कम से कम समयावधि में संभव हो सके ।

5.6. सर्वप्रथम खुले में भण्डारित धान को ही कस्टम मिलिंग हेतु प्रदाय किया जावे तथा खुले में भण्डारित धान के निराकृत होने के पश्चात ही गोदाम में भण्डारित धान मिलिंग हेतु प्रदाय किया जावे ।

5.7. कस्टम मिलिंग से प्राप्त होने वाले चावल को जिले की सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य योजनाओं की न्यूनतम आवश्यकतानुसार छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन में जमा किया जाए तथा आधिक्य वाला चावल भारतीय खाद्य निगम में जमा किया जावे ।

5.8. कस्टम मिलिंग पश्चात मिलर चावल की डिलेवरी छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन या भारतीय खाद्य निगम को निकटतम चावल उपार्जन केन्द्र पर देंगे । छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन द्वारा जिस जिले का मिलर है उसी जिले के निकटतम चावल उपार्जन केन्द्र में चावल प्राप्त किया जावे । चावल की कमी वाले जिलों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य शासकीय योजनाओं हेतु आवश्यक चावल की आपूर्ति आधिक्य वाले जिलों से परिवहन कराकर की जावे ।

5.9. मिलर्स से अनुबंध में मिलिंग हेतु निर्धारित अवधि में ही मिलिंग कार्य अनिवार्यत: पूरा कराया जावे तथा मिलिंग अवधि में सामान्य परिस्थितियों में

कोई वृद्धि न की जावे । बिना युक्तियुक्त कारण के धान की मिलिंग में अनावश्यक विलंब को रोकने हेतु अनुबंध में दण्ड का प्रावधान रखा जावे । विशेष परिस्थितियों में अनुबंध अवधि समाप्त होने पर केवल एक बार एक माह की समयावधि वृद्धि कलेक्टर द्वारा की जा सकेगी । एक माह की समयावधि की कलेक्टर द्वारा वृद्धि किए जाने के उपरांत मिलिंग हेतु अतिरिक्त समयावधि की अनुमति प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा दी जा सकेगी ।

5.10. उपार्जन अवधि में यथासंभव समितियों से कस्टम मिलिग की अनुमति दी जावे । उपार्जन अवधि पश्चात भण्डारण केन्द्रों से कस्टम मिलिंग की अनुमति दी जावे ।

5.11. मिलर को धान की अरवा मिलिंग पर 67 प्रतिशत एवं उसना मिलिंग 68 प्रतिशत चावल की डिलेवरी देनी होगी । अग्रिम आदेश तक यह अनुपात लागू रहेगा ।

5.12. जिन मिलों का पंजीयन उसना मिलिंग की क्षमता के लिए किया गया है उन्हें उसना मिलिंग पूरी होने तक अरवा मिलिंग की अनुमति न दी जाए।

6. **बारदानों की राशि की प्राप्ति -**

कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स को धान के साथ प्रदाय बारदानों को छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा वापिस नहीं लिया जावे तथा बारदानों के प्रति नग मूल्य की 60 प्रतिशत राशि मिलर्स को देय राशि में से छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा समायोजित की जावे ।

7. **परिवहन व्यवस्था –**

7.1. कस्टम मिलिंग हेतु मिलर्स द्वारा समितियों से धान के सीधे उठाव के लिए कलेक्टर द्वारा धान उपार्जन हेतु निर्धारित दर पर मिलरों को परिवहन व्यय देय होगा । परिवहन व्यय उपार्जन केन्द्र से मिल की दूरी में 8 किलोमीटर घटाकर आयी दूरी हेतु देय होगा ।

7.2. मार्कफेड के धान संग्रहण केन्द्र से मिलिग हेतु मिलर्स को प्रदाय किए जाने वाले धान की परिवहन दर के निर्धारण हेतु धान के लौंडिग एवं अनलोडिग व्यय को पृथक करते हुए नवीन निविदा के आधार पर परिवहन दरों का निर्धारण किया जावे । यह परिवहन व्यय मार्कफेड के संग्रहण केन्द्र से मिल की दूरी में 8 किलोमीटर घटाकर आई दूरी हेतु देय होगा ।

7.3. समितियों से सीधे मिलरों को कस्टम मिलिंग के लिए धान प्रदाय हेतु प्रत्येक समिति से मिल की दूरी के मान से एक नक्शा इस प्रकार तैयार करें कि न्यूनतम परिवहन व्यय के साथ ही परिवहन करने में कम समय लगे । जिले की सीमावर्ती समितियों से यदि जिले के भीतर की मिलों की दूरी अधिक हो और सीमावर्ती जिले में कम दूरी पर मिलें उपलब्ध हों तो न्यूनतम व्यय अनुसार अनुबंध किया जाए । जिले में उपलब्ध राईस मिलों की क्षमता के आधार पर वहां भण्डारित धान की कस्टम मिलिंग का कार्य कराया जाए । जिले के धान का निराकरण होने पर विगत वर्ष की भांति समीपवर्ती जिलों के कलेक्टर से चर्चा की जाकर वहां उपलब्ध धान की कस्टम मिलिंग कराई जाए । ऐसी स्थिति में कलेक्टर प्रबंध संचालक छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ को पत्र लिखकर अन्य जिले के लिए पंजीकृत मिलों की

जानकारी प्राप्त कर उसका उपयोग करेंगे ।

7.4. भण्डारण केन्द्र से कस्टम मिलरों को अनुमति इस प्रकार दी जावे कि परिवहन व्यय न्यूनतम हो । मिलरों के नजदीक जो भण्डारण केन्द्र है प्रथमत: उन भण्डारण केन्द्रों से कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति दी जावे । नजदीक के भण्डारण केन्द्रों का धान समाप्त होने पर अगले नजदीक के भण्डारण केन्द्रों से कस्टम मिलिंग की अनुमति दी जावे ।

8. **समितियों से धान का सीधे उठाव -**

8.1. विगत वर्ष की भांति उपार्जन केन्द्रों से सीधे मिलर्स को धान मिलिंग हेतु दिया जावे, जिससे भण्डारण, परिवहन एवं सूखत आदि मदों में मितव्ययता सुनिश्चित हो सके । समितियों में उपार्जित धान को सीधे समितियों से कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स को देने की निम्नानुसार व्यवस्था की जावे -

8.1.1. इस हेतु पंजीकृत चावल मिलों को सबसे नजदीक की सहकारी समितियों से संबद्ध किया जावे और उन समितियों में उपार्जित धान का पूरा निराकरण होने तक उन मिलरों को अन्य स्थान से धान न दिया जाए।

8.1.2. मिलों का समितियों से संबद्धीकरण समितियों की मिलों से दूरी, समितियों में उपार्जित धान की मात्रा एवं मिल की मिलिंग क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टरों द्वारा किया जाए । किसी समिति को एक या अधिक मिल से तथा किसी मिल को एक या अधिक समिति से संबद्ध किया जा सकेगा । इस हेतु मिल की मिलिंग क्षमता तथा परिवहन पर होने वाले व्यय इत्यादि को भी ध्यान में रखा जाए ।

8.2. अनुबंध अनुसार धान की मात्रा संबद्ध समितियों में उपार्जित धान में से मिल

को दी जावे । मिलर जिला विपणन अधिकारी से प्रथमत: डिलेवरी आर्डर प्राप्त करें उसके बाद सहकारी समिति स्तर पर स्कंध प्राप्त करेंगे । समितियां किसी भी स्थिति में बिना डिलेवरी आर्डर के और डिलीवरी आर्डर में उल्लिखित मात्रा से अधिक धान मिलर को प्रदाय नहीं करेंगी । बिना डिलीवरी आर्डर के अथवा डिलीवरी आर्डर में उल्लिखित मात्रा से अधिक धान समितियों से उठाने वाले मिलर्स को तत्काल काली सूची में डालते हुए उनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जावे । इसके अतिरिक्त बिना डिलीवरी आर्डर के अथवा डिलीवरी आर्डर में उल्लिखित मात्रा से अधिक धान मिलरों को देने वाली समितियों के कर्मचारियों के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही एवं अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जाए।

8.3. जिला विपणन अधिकारी डिलीवरी आर्डर कम्प्यूटर साफ्टवेयर के माध्यम से जारी करेगा, तथा इसमें प्रदाय किए जाने वाले धान की प्रतिभूति का पूरा विवरण होगा। यदि प्रतिभूति अग्रिम चावल जमा के रूप में होगी तो जिला विपणन अधिकारी इसे तभी स्वीकार करेगा जब वह इसकी पुष्टि इंटरनेट पर उपलब्ध छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन अथवा भारतीय खाद्य निगम के सी एम आर प्राप्ति केंद्र से जारी चावल की अभिस्वीकृति से कर लेगा। डिलीवरी आर्डर की एक प्रति मिलर को दी जाएगी। डिलीवरी आर्डर की इलेक्ट्रानिक प्रति सर्व संबंधित को तत्काल इंटरनेट पर भी उपलब्ध हो जाएगी। डिलीवरी आर्डर की इलेक्ट्रानिक प्रति समिति तक पहुचाने के लिए छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा मोटर साइकिल सवार नियुक्त किए जाएंगे। यह मोटर साइकिल सवार प्रतिदिन विकासखंड मुख्यालय पर जनपद पंचायत

के कार्यालय में उपलब्ध वी-सेट के माध्यम से या फिर अन्य किसी इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके उसे समितियों एवं संग्रहण केंद्रों के कम्प्यूटर में भरेंगे। यही मोटर साइकिल सवार समितियों एवं संग्रहण केंद्रों की जानकारी वापस लाकर विकासखंड मुख्यालय पर इंटरनेट पर उपलब्ध्ध वेब एप्लीकेशन में भरेंगे, जिससे यह जानकारी तत्काल सर्व संबंधित तक पहुंच जाएगी। यह मोटर साइकिल सवार कम्प्यूटर की छोटी मोटी खराबियों का सुधार भी कर सकेंगे। संग्रहण केंद्रों पर भी वी-सेट के माध्यम से इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

8.4. मिलर का प्रतिनिधि जब समिति अथवा संग्रहण केंद्र पर धान उठाने के लिए पहुंचेगा, तथ संमिति एवं संग्रहण केंद्र के कम्प्यूटर में मिलर द्वारा लाए गए डिलीवरी आर्डर का क्रमांक भर कर उसकी इलेक्ट्रानिक प्रति से मिलान किया जाएगा। यह मिलान हो जाने पर ही धान मिलर को दिया जाएगा। मिल के पंजीयन के समय मिलर के प्रतिनिधियों के फोटो एवं हस्ताक्षर भी प्राप्त किए जाएंगे जो समितियों एवं संग्रहण केंद्रों के कम्प्यूटरों में उपलब्ध रहेंगे। समितियों एवं संग्रहण केंद्रों में धान के उठाव के समय इनका मिलान भी किया जाएगा।

8.5. सहकारी समिति स्तर पर कस्टम मिलर को धान दिए जाने के उपरांत स्कंध में कोई कमी आने पर मिलर की जिम्मेदारी होगी । धान के उठाव के समय मिलर या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा धान की पावती समिति प्रबंधक को तत्काल दी जावेगी ।

8.6. अनुबंध की निर्धारित अवधि में मिलर धान उठाव सुनिश्चित करेंगे । विलंब की

स्थिति में अनुबंध में दण्ड का प्रावधान किया जावे ।

8.7. शासन की मंशा है कि धान खरीदी और उसकी मिलिंग में होने वाले दोहरे व्यय (परिवहन, हैण्डलिंग, सूखत इत्यादि में) से बचने के लिए चिन्हित समितियों से ही मिलरों द्वारा अधिक से अधिक धान का उठाव किया जावे ।

8.8. धान उपार्जन हेतु गठित जिला स्तरीय समिति व उपार्जन केन्द्रों हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी को निर्देश जारी करें कि वे प्रत्येक समिति से कस्टम मिलरों द्वारा उठाए गए धान की प्रति दिन समीक्षा करें तथा उपार्जन केन्द्रों में धान का भौतिक सत्यापन करें । यह सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी परिस्थिति में मिलर द्वारा समिति से उठाव किए गए धान का पुनर्चक्रण (Recycling) संभव न हो सके ।

8.9. उपार्जित धान को उपार्जन केन्द्र से सीधे मिलर्स अथवा भारतीय खाद्य निगम को प्राथमिकता के आधार पर प्रदाय किया जाना है । इस बात का ध्यान रखा जाय कि समिति स्तर से ही अधिकाधिक मात्रा में उपार्जित धान को सर्वप्रथम मिलर तथा भारतीय खाद्य निगम को अंतरित किया जाए । छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ के संग्रहण केन्द्र को धान का अंतरण अंतिम चरण में किया जाय ।

8.10. भारतीय खाद्य निगम को हस्तांतरित धान एवं कस्टम मिल्ड चावल के बिल छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ के स्थानीय कार्यालय द्वारा समय पर प्रस्तुत न होने से इसकी राशि प्राप्ति में विलंब होता है । इसलिए शुरू से ही यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भी धान अथवा कस्टम मिल्ड चावल भारतीय खाद्य निगम को अंतरित होता है उसका भुगतान 15 दिन के अंदर करा लिया

जाए अन्यथा राज्य शासन को अनावश्यक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज भुगतान करना पडेगा ।

8.11. किसी भी स्थिति में समिति स्तर अथवा छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ के संग्रहण केन्द्र से मिलर्स को धान छटनी कर प्रदाय नहीं किया जावे । मिलर्स को कस्टम मिलिंग हेतु स्टेक का हस्तांतरण किया जावे, जिसमें 100 मेट्रिक टन अर्थात 2500 बोरे के धान का हस्तांतरण होता है ।

9. **कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति –**

9.1. कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन एवं भारतीय खाद्य निगम के कस्टम मिल्ड चावल उपार्जन केंद्रों पर की जाएगी। कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति किस चावल उपार्जन केंद्र पर की जाना है इसका स्पष्ट उल्लेख अनुबंध में होगा। कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति उसी जिले के चावल उपार्जन केंद्र में की जाएगी जिस जिले में मिल स्थित है।

9.2. कस्टम मिल्ड चावल मिलर द्वारा लाए जाने पर कस्टम मिल्ड चावल उपार्जन केंद्र में इंटरनेट पर उपलब्ध अनुबंध की इलेक्ट्रानिक प्रति से मिलान किया जाएगा, और उसी स्थिति में चावल स्वीकार किया जाएगा जब अनुबंध में चावल उस उपार्जन केंद्र में जमा कराना दर्शाया गया हो।

9.3. मिलर द्वारा चावल लाया जाने पर सैंपल लेने, सैंपल पर्ची बनाने, सैंपल का विश्लेषण करने तथा चावल प्राप्त करने का पूरा कार्य कम्प्यूटर साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा, तथा इसी साफ्टवेयर से चावल की अभिस्वीकृति जारी की जाएगी। अभिस्वीकृति की एक प्रति प्रिंट करके मिलर को दी जाएगी। अभिस्वीकृति की इलेक्ट्रानिक प्रति इंटरनेट के माध्यम से तत्काल सर्वसंबंधित

को उपलब्ध हो जाएगी।

10. **अन्य –**

10.1. समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की त्वरित मिलिंग हेतु मिलर से चर्चा कर मिलिंग हेतु आवेदन प्राप्त कर धान खरीदी प्रारंभ होने से पूर्व ही अग्रिम अनुमति जारी कर मिलिंग हेतु अनुबंध कर लिया जावे । मिलिंग हेतु अग्रिम अनुबंध किए जाने के पूर्व ही धान उपार्जन अवधि के दौरान समितियों से सीधे उठाव हेतु उपार्जन केन्द्रों का चिन्हांकन एवं प्रदाय की जाने वाली मात्रा का आंकलन किया जाकर मिलर्स से चर्चा कर उन्हें अधिकाधिक मात्रा में समितियों से सीधे धान उठाव हेतु प्रोत्साहित किया जावे ।

10.2. आपके जिले में संचालित राईस मिलों की मिलिंग क्षमता के आधार पर प्रतिमाह मिलिंग हेतु धान के उठाव की मात्रा का लक्ष्य निर्धारित कर तदनुसार तत्काल अनुमति, अनुबंध एवं धान के निराकरण की कार्ययोजना तैयार कर ली जावे, जिससे धान की अधिक आवक होने के दौरान व्यवस्थित एवं सुगम रूप से प्रत्येक माह लक्ष्य अनुसार धान की कस्टम मिलिंग सुनिश्चित हो सके ।

10.3. आपके जिले में कस्टम मिलिंग हेतु दी जाने वाली अनुमति एवं अनुबंधित धान की मात्रा की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदिन विभाग, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें ।

10.4. जो कम्प्यूटर साफ्टवेयर तैयार कराया गया है उसमें जिला खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी, जिला प्रबंधक छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन, कलेक्टर, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाइज

कारपोरेशन, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ तथा राज्य शासन सभी के लिए मानीटरिंग के माड्यूल हैं। सभी स्तरों पर इसका उपयोग करके न केवल प्रभावी मानीटंरिंग की जाए, बल्कि सभी लेखे भी प्रतिदिन तैयार किए जाएं।

कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधितों को अविलंब निर्देशित करें तथा निर्देशानुसार धान की मिलिंग हेतु वांछित जानकारी नियमित रूप से विभाग एवं संबंधित एजेंसियों को उपलब्ध करावें ।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(डॉ. आलोक शुक्ला)
सचिव
छत्तीसगढ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 4-25/खाद्य/2007/29 रायपुर, दिनांक 04 अक्टूबर, 2007

प्रतिलिपि -

01. सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
02. प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, 16-20 बारह खम्बा लेन, नई दिल्ली ।
03. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, छत्तीसगढ शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
04. निज सहायक, माननीय मंत्री, (समस्त) छत्तीसगढ शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
05. मुख्य सचिव के अतिरिक्त सचिव छत्तीसगढ शासन, मंत्रालय रायपुर।
06. समस्त प्रभारी सचिव छत्तीसगढ शासन, मंत्रालय रायपुर।
07. जोनल मैनेजर (पश्चिम) भारतीय खाद्य निगम, मुबंई ।
08. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर ।
09. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, रायपुर ।
10. आयुक्त, जन संपर्क, छत्तीसगढ, रायपुर की ओर प्रकाशनार्थ ।
11. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, रायपुर ।
12. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम, रायपुर ।
13. अध्यक्ष, छत्तीसगढ राईस मिल एसोसिएशन, रायपुर ।

सचिव
छत्तीसगढ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग